(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1)

Government of India
Ministry of Education
Department of Higher Education
ICR Division

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated: 9th May, 2022

NOTIFICATION

No.10-4/2021-U3(A): Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. **And whereas,** in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide Notification No. 9-13/2007-U.3(A) dated 4th June, 2008, on the advice of UGC, had declared Nitte University, Mangalore, Karnataka consisting of A.B. Shetty memorial Institute of Dental Sciences as an Institution Deemed to be University. Further, pursuant to the judgment Order dated 03.11.2017 in Civil Appeal Nos. 17869-17870/2017 titled as Orissa Lift Irrigation Corp. Ltd Versus Rabi Sankar Patro & Ors. and Civil Appeal Nos. 17902-17905/2017 titled as Vijay Kumar & Ors Vs. Kartar Singh & Ors held, the name of deemed to be University was changed from 'Nitte University' to 'Nitte' by deleting the word University.

3. **And further whereas,** Nitte (Deemed to be University), Mangalore, Karnataka uploaded online application dated 04.08.2021 on UGC Portal for starting of an off-campus centre at Nitte Village, Udupi District, Karnataka comprising two Colleges namely Dr. Nitte Shankara Adyanthaya Memorial First Grade College (NSAMFGC), Udupi and Nitte Mahalinga Adyanthaya Memorial Institute of Technology (NMAMIT), Nitte, Karnataka. The UGC was asked to examine the application as per the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019 and furnish its advice.

4. **And whereas**, UGC conveyed that the application of the deemed to be University was examined through an Expert Committee consisting of the nominee of All India Council for Technical Education (AICTE). The report of the Expert Committee was considered by the Commission in its 553rd meeting held on 26.10.2021in which the following was resolved:

"The Commission considered the report of the UGC Expert Committee and resolved to recommend approval of Off-Campus Centre of Nitte (Deemed to be University), Mangaluru (Karnataka) at Nitte Village, Udupi Dt., Karnataka keeping in view the NAAC grading (A+ CGPA 3.40) and NIRF ranking, 2021 (77th in Universities category) of the Deemed to be University. The recommendations are in tune with the National Education

Policy wherein the overall culture of empowerment & graded autonomy to higher educational Institutions and gradually phasing out the system of affiliating colleges is visualized. However, the functioning of the off-campus shall be reviewed as per the provisions of UGC Regulations. The Deemed to be University should ensure that the standard in the off-campus are maintained similar to the main campus and all the UGC Rules and Regulations are followed strictly".

5. **And whereas**, the advice of the Commission was considered in the Ministry and decided to issue Letter of Intent (LoI) for fulfilment of certain conditions. Accordingly, Ministry issued LoI on 12.01.2022 for fulfilment of the following conditions within a period of three years:

i. Nitte, Karnataka shall submit a certificate regarding disaffiliation of Dr. Nitte Shankara Adyanthaya Memorial First Grade College (NSAMFGC), Udupi and Nitte Mahalinga Adyanthaya Memorial Institute of Technology (NMAMIT) from Mangalore University and Visvesvaraya Technological University respectively.
ii. Nitte, Karnataka shall submit the declaration that will be to the extent that the students already enrolled will continue and complete their degree from their respective affiliated University.
iii. Nitte, Karnataka shall submit the declaration that will be to the extent that the existing infrastructure will either be transferred or new infrastructure will be created as may be required for setting up an Off-Campus.
iv. The Nitte, Karnataka shall submit a letter of maintaining corpus fund of Rs. 10.00 Crore as per the UGC Regulations, 2019.
v. The Nitte, Karnataka shall submit a certificate regarding maintaining of cadre ratio of faculty, as recommended by AICTE/UGC.

6. **And further whereas**, the compliance report in respect of conditions of LoI, as submitted by the deemed to be University, was verified by the UGC. UGC informed that the deemed to be University has fulfilled the conditions of the LoI and the same is approved by the Chairman, UGC.

7. **Now, therefore**, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby permit Nitte (Deemed to be University), Mangalore, Karnataka for starting of an off-campus centre at Nitte Village, Udupi District, Karnataka subject to submission of fulfilment report of the following conditions:

i. The existing infrastructure of Dr. Nitte Shankara Adyanthaya Memorial First Grade College (NSAMFGC), Udupi and Nitte Mahalinga Adyanthaya Memorial Institute of Technology (NMAMIT) will either be transferred or new infrastructure will be created as may be required for setting up an Off-Campus.
ii. Report of maintaining cadre ratio of faculty, as recommended by AICTE/UGC.
iii. The students already enrolled will continue and complete their degree from their respective affiliated University.

8. The said off-campus shall be reviewed by the Commission after a period of five years from the date of Notification by the Government. This permission is subject to the compliance of the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019 and other relevant Norms / Rules / Regulations / Directions issued by the Central Government, UGC and other Statutory Councils, from time to time.

(Vijayalakshmi Mahadevan)
Under Secretary to the Government of India

The Manager,
Government of India Press,
Minto Road, New Delhi – 110002.

Copy forwarded to: -

1. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi.
2. The Vice-Chancellor, Nitte (Deemed to be University), Mangalore, Karnataka.
3. The Member Secretary, All India Council for Technical Education (AICTE), Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070.
4. The Additional Chief Secretary (Higher Education Department), Government of Karnataka, Bengaluru.
5. The Secretary, Dental Council of India (DCI), Aiwan-E-Galib Marg, Kotla Road, Temple Lane, New Delhi-110002.
6. The Under Secretary (ME-P.II), Ministry of Health & Family Welfare, Nirman Bhawan, New Delhi-110011.
7. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi.
8. The Secretary General, Association of Indian Universities, AIU House, 16, Kotla Marg, New Delhi-2.
9. Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhavan, New Delhi. It is requested that CMIS Unit may kindly be instructed to display the Notification on the website (Home site) of the Department.
10. Guard file / Notification file.

(Vijayalakshmi Mahadevan)
Under Secretary to the Government of India

(भारत के राजपत्र के भाग-I खंड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

, शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

आईसीआर प्रभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 9 मई, 2022

<u>अधिसूचना</u>

सं.10-4/2021-यू3(अ): जबकि, केंद्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर शिक्षण संस्था को समवत विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने का अधिकार है।

2. **और जबकि**, केंद्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर अधिसूचना संख्या 9-13/2007-यू.3 (क) दिनांक 4 जून, 2008 के तहत निट्टे विश्वविद्यालय, मैंगलोर, कर्नाटक, जिसमें ए.बी. शेट्टी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज शामिल है, को समवत विश्वविद्यालय संस्था घोषित किया गया था। इसके अलावा, उड़ीसा लिफ्ट इरीगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड बनाम रबी शंकर पात्रो और अन्य संबंधी सिविल अपील संख्या 17869-17870/2017 तथा विजय कुमार और अन्य बनाम करतार सिंह व अन्य संबंधी सिविल अपील सं. 17902-17905/2017 में दिनांक 03.11.2017 को दिए गए निर्णय आदेश के अनुसार, विश्वविद्यालय शब्द को हटाकर समवत विश्वविद्यालय का नाम 'निट्टे विश्वविद्यालय' से बदलकर 'निट्टे' कर दिया गया था।

3. **और इसके अलावा**, निट्टे (समवत विश्वविद्यालय), मैंगलोर, कर्नाटक ने निट्टे गांव, उडुपी जिला, कर्नाटक में एक ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने के लिए यूजीसी पोर्टल पर दिनांक 04.08.2021 को ऑनलाइन आवेदन अपलोड किया, जिसमें दो कॉलेज नामत: डॉ निट्टे शंकरा अद्यंतया मेमोरियल फर्स्ट ग्रेड कॉलेज (एनएसएएमएफजीसी), उडुपी और निट्टे महालिंगा अद्यंतया मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनएमएएमआईटी), निट्टे,

कर्नाटक शामिल हैं। यूजीसी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 के अनुसार आवेदन की जांच करने और अपनी सलाह प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

4. **और जबकि**, यूजीसी ने बताया कि समवत विश्वविद्यालय के आवेदन की जांच, एक विशेषज्ञ समिति, जिसमें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के नामित व्यक्ति भी थे, के माध्यम से की गई थी। आयोग ने 26.10.2021 को आयोजित अपनी 553वीं बैठक में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया, जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिया गया:

"आयोग ने यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और समवत विश्वविद्यालय की एनएएसी ग्रेडिंग (ए+सीजीपीए 3.40) और एनआईआरएफ रैंकिंग, 2021 (विश्वविद्यालयों की श्रेणी में 77वां स्थान) को ध्यान में रखते हुए निट्टे गांव, उडुपी जिला, कर्नाटक में निट्टे (समवत विश्वविद्यालय), मंगलुरु (कर्नाटक) के ऑफ-कैंपस सेंटर के अनुमोदन की सिफारिश करने का संकल्प लिया। सिफारिशें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप हैं, जिनमें उच्च शिक्षण संस्थानों के सशक्तिकरण और श्रेणीबद्ध स्वायत्तता की समग्र संस्कृति और संबद्ध कॉलेजों की प्रणाली को धीरे-धीरे समाप्त करने की कल्पना की गई है। तथापि, यूजीसी विनियमों के प्रावधानों के अनुसार ऑफ-कैंपस के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। समवत विश्वविद्यालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऑफ-कैंपस में मानक मुख्य परिसर के समान बनाए रखे जाएं और सभी यूजीसी नियमों और विनियमों का दृढ़ता से पालन किया जाए"।

5. **और जबकि**, मंत्रालय में आयोग की सलाह पर विचार किया गया और कतिपय शर्तों को पूरा करने के लिए आशय पत्र (एलओआई) जारी करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, मंत्रालय ने तीन वर्षों की अवधि के भीतर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के लिए 12.01.2022 को एलओआई जारी किया है:

i. निट्टे, कर्नाटक, मैंगलोर विश्वविद्यालय और विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से क्रमशः डॉ. निट्टे शंकराचार्य अदयंतया मेमोरियल फर्स्ट ग्रेड कॉलेज (एनएसएएमएफजीसी), उडुपी और निट्टे महालिंगा अदयंतया मेमोरियल इंस्टीट्यूट

ऑफ टेक्नोलॉजी (एनएमएएमआईटी) की संबद्धता समाप्त करने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

ii. निट्टे, कर्नाटक को इस आशय की घोषणा करनी होगी कि पहले से नामांकित छात्र अपने संबंधित संबद्ध विश्वविद्यालय से अपनी डिग्री जारी रखेंगे और उसे पूर्ण करेंगे।

iii. निट्टे, कर्नाटक इस आशय की घोषणा करनी होगी कि मौजूदा बुनियादी ढांचे को या तो स्थानांतरित कर दिया जाएगा या ऑफ-कैंपस स्थापित करने के लिए आवश्यक नए बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा।

iv. निट्टे, कर्नाटक यूजीसी विनियम, 2019 के अनुसार 10.00 करोड़ रुपये की समग्र निधि बनाए रखने का एक पत्र प्रस्तुत करेगा।

v. निट्टे, कर्नाटक एआईसीटीई/यूजीसी द्वारा अनुशंसित संकाय संवर्ग अनुपात को बनाए रखने के संबंध में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

6. **और इसके अलावा जबकि**, समवत विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत एलओआई की शर्तों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट, यूजीसी द्वारा सत्यापित की गई थी। यूजीसी ने सूचित किया कि समवत विश्वविद्यालय ने एलओआई की शर्तों को पूरा किया है और इसे यूजीसी के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया गया है।

7. **और अब,** केंद्र सरकार, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर, निट्टे (समवत विश्वविद्यालय), मैंगलोर, कर्नाटक को निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अध्यधीन निट्टे गांव, उडुपी जिला, कर्नाटक में एक ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने की अनुमति देती है:

i. डॉ. निट्टे शंकरा अद्यंतया मेमोरियल फर्स्ट ग्रेड कॉलेज (एनएसएएमएफजीसी), उडुपी और निट्टे महालिंगा अद्यंतया मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनएमएएमआईटी) के मौजूदा बुनियादी ढांचे को या तो स्थानांतरित कर दिया जाए या ऑफ-कैंपस स्थापित करने के लिए आवश्यक नए बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाए।

ii. एआईसीटीई/यूजीसी द्वारा अनुशंसित संकाय संवर्ग अनुपात को बनाए रखने की रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

iii. पहले से नामांकित छात्र अपने संबंधित संबद्ध विश्वविद्यालय से अपनी डिग्री जारी रखेंगे और अपनी डिग्री पूरी करेंगे।

8. सरकार द्वारा अधिसूचना की तारीख से पांच साल की अवधि के बाद आयोग द्वारा उक्त ऑफ-कैंपस की समीक्षा की जाएगी। यह अनुमति यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 और केंद्र सरकार, यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी अन्य प्रासंगिक मानदंडों/नियमों/विनियमों/निर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन है।

विजयलक्ष्मी महादेवन

(विजयलक्ष्मी महादेवन)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रबन्धक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मिंटो रोड, नई दिल्ली - 110002.

<u>प्रतिलिपि प्रेषित:</u> -

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
2. कुलपति, निट्टे (समवत विश्वविद्यालय), मैंगलोर, कर्नाटक।
3. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070
4. अपर मुख्य सचिव (उच्चतर शिक्षा विभाग), कर्नाटक सरकार, बेंगलुरु।
5. सचिव, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डीसीआई), ऐवान-ए-गालिब मार्ग, कोटला रोड, टेंपल लेन, नई दिल्ली-110002
6. अवर सचिव (एमई-पी.II), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011

7. प्रेस सूचना ब्यूरो, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
8. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एआईयू हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-2
9. वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। अनुरोध है कि सीएमआईएस इकाई को विभाग की वेबसाइट (होम साइट) पर अधिसूचना प्रदर्शित करने का निर्देश दिया जाए।
10. गार्ड फ़ाइल/अधिसूचना फ़ाइल।

(विजयलक्ष्मी महादेवन)
अवर सचिव, भारत सरकार